

नवम्बर, 2008  
NOVEMBER, 2008

बीमा सर्वेक्षकों के लिए परीक्षा  
मोटर बीमा

S-06

EXAMINATION FOR INSURANCE SURVEYORS  
MOTOR INSURANCE

समय : 3 घंटे ]  
Time: 3 Hours]

[कुल अंक : 100  
[Total Marks : 100

किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न के 16 अंक हैं परन्तु यह अनिवार्य नहीं।  
शेष सभी प्रश्नों के लिए प्रत्येक 12 अंक हैं।

Answer **eight** Questions only. Question **one** carries 16 Marks but this is not compulsory.  
All other questions carry 12 marks each.

- |   | Marks               |
|---|---------------------|
| 1. वे कौन से कारक हैं जो मोटर बीमांकन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।                             | 16                  |
| 1. What are the factors which affect underwriting of Motor Insurance? Explain in detail.  | 16                  |
| 2. बीमा के निम्नलिखित सिद्धान्त मोटर बीमा पर किस तरह लागू होते हैं :- (प्रत्येक के 6 अंक)<br>क) बीमायोग्य हित<br>ख) क्षतिपूर्ति |                     |
| 2. How are the following Principles of Insurance applicable to Motor Insurance :-<br>a) Insurable Interest<br>b) Indemnity      | 6 each              |
| 3. प्राइवेट कार स्वयं-क्षति दावा निपटान हेतु अपनाई जाने वाली दावा प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में टिप्पणी लिखिए।              | 12                  |
| 3. Write a brief note on claims procedure for private car Own Damage Claims.  | 12                  |
| 4. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (कोई तीन)<br>i) मूल्यांकित पॉलिसियाँ<br>ii) टी पी पी डी   | (प्रत्येक के 4 अंक) |

- iii) ड्राइवर/क्लीनर के प्रति विधिक दायित्व  
iv) नवीकरण नोटिस
4. Write short notes (**any three**) :- 4 each
- i) Valued Policies  
ii) T. P. P. D.  
iii) Legal liability to driver/cleaner  
iv) Renewal Notice.
- (प्रत्येक के 6 अंक)
5. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में निम्नलिखित हेतु कौन-कौन से प्रावधान किये गये हैं :-
- क) बीमाधारक का दिवालिया निकल जाने पर बीमाकर्ताओं के प्रति तृतीय पक्षकारों के अधिकार।  
ख) तृतीय पार्टी जोखिमों के समक्ष बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध पारित निर्णय का पालन करने संबंधी बीमाकर्ताओं का कर्तव्य।
5. What are the provisions in M. V. Act, 1988 regarding :- 6 each
- a) Rights of Third Parties against insurers on insolvency of the insured.  
b) Duty of Insurers to satisfy judgement against persons insured in respect of third party risks.
6. मोटर वाहन (पैकेज) पॉलिसी के स्वयं-क्षति वाले खंड के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की हानियों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। 12
6. Discuss in detail various types of losses which are payable under Motor Vehicle (Package) Policy, in Own Damage Section. 12
7. मोटर विभाग में टी पी पी डी दावों का संचलन कैसे किया जाता है? 12
7. How are T. P. P. D. claims handled in Motor Department? 12
8. प्राइवेट कार/दुपहिया वाहनों हेतु जारी की जाने वाली मोटर पैकेज पॉलिसियों में कौन-कौन से सामान्य अपवर्जन दिखाई पड़ते हैं? 12
8. Which general exceptions appear in the Motor Package Policies issued for private cars/two wheelers. 12

9. बीमा प्रमाण-पत्र के बारे में विस्तारपूर्वक नोट लिखिए। 12
9. Write a detailed note on Certificate of Insurance. 12
10. किसी हाउसिंग सोसाइटी की दीवार से टकरा जाने के कारण एक प्राइवेट कार के अगले हिस्सों को क्षति पहुँचती है। बीमाधारक ने मरम्मत हेतु निम्नानुसार अनुमानित लागत दी है : 12
- |  | रू.    |
|--|--------|
| i) बंपर (कलपुर्जे + मजदूरी)  | 2,500  |
| ii) बोनेट (कलपुर्जे + मजदूरी)  | 4,500  |
| iii) दांयी तरफ का पिछला दरवाजा (कलपुर्जे + मजदूरी)   | 5,000  |
| iv) रेडिएटर (कलपुर्जे + मजदूरी)  | 3,000  |
| v) हेड लैम्प जोड़ने हेतु (कलपुर्जे + मजदूरी)   | 1,600  |
| vi) डिकी का दरवाजा (केवल मजदूरी)   | 400    |
| vii) आगे के टायर (दो) (जिन्हें दुर्घटना की तारीख से 15 दिन पहले खरीदा गया था)              | 3,200  |
| viii) हाउसिंग सोसाइटी ने दीवार की मरम्मत हेतु मांग की है (हाउसिंग सोसाइटी 8 साल पुरानी है) | 15,000 |

दुर्घटना प्रकार, शर्त एवं निबंधन, पॉलिसी के तहत लागू आधिक्य को मद्देनजर रखते हुए देय हानि का निर्धारण कीजिए।

10. A private car collided on a wall of a housing society damaging front portion of the car and wall. Insured submitted estimate of repair as under :- 12

	Rs.
i) Bumper (parts + labour)	2,500
ii) Bonet (parts + labour)	4,500
iii) Right rear door (parts + labour)	5,000
iv) Radiator (parts + labour)	3,000
v) Head lamp assemble (parts + labour)	1,600
vi) Dicky door (labour only)	400
vii) Front Tyres 2 Nos. (Purchased 15 days before the date of Accidents)	3,200
viii) Housing Society claimed towards repairing of the wall (Age of the housing society is 8 years)	15,000

Assess the loss admissible considering the nature of accident, terms and conditions, excess applicable under the policy.

----- समाप्त -----

----- THE END -----